01.7.14 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ने [illegible] [illegible] पेश
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राम
[illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] हो। मिसल वास्ते [illegible]
12.7.14 को पेश हो।

12.7.14 [illegible] [illegible] हाजिर [illegible] सुनी गई।
मिसल वास्ते आदेश दि. 25.7.14 को
पेश हो।

25.7.14 मिसल आज आदेश पेश हुई। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निर्णय [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] हो। [illegible]
फैसला सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी [illegible] मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

इजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

कदमा नंबर – 11/2019

1. श्योपाल
2. भानाराम
3. मोहन लाल
4. लक्ष्मण राम

} पुत्रगण प्रभुराम

5. श्रीमती चुनी देवी पुत्री प्रभुराम
6. श्रीमती माना देवी पत्नी स्व. दानाराम
7. भींवाराम आयु 15 वर्ष पुत्र स्व. दानाराम
8. अमर चन्द आयु 10 वर्ष पुत्र स्व. दानाराम
9. बिदामी आयु 14 वर्ष पुत्री स्व. दानाराम

} नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता स्वयं माना देवी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. प्रभुराम पुत्र खुमाणाराम जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति–

1. श्री रणधीरसिंह काजला वकील वादीगण की ओर से
2. श्री बाबूलाल कुमावत वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक– 25.07.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 508, 521, 522, 523 किता 4 कुल रकबा 10.49 है0 वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का सजरा खानादान निम्न प्रकार से है :–

खुमाणा (फौत)

↓

प्रभुराम (प्रतिवादी सं. 1)

↓

श्योपाल(वादी सं.1) | भानाराम(वादीसं.2) | दानाराम(फौत) | मोहनलाल(वादी सं.3) | लक्ष्मणराम(वादी सं.4 | चुनीदेवी(वादीसं.5)

दानाराम(फौत) ↓

मानादेवी–पत्नी (वादी सं.6) | भींवाराम–पुत्र (वादी सं. 7) | बिदामी –पुत्री (वादी सं. 9) | अमर चन्द–पुत्र (वादीसं. 8)

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादीगण व प्रतिवादीसं. 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमियां है जिन पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काबिज होकर काश्त करते है इसलिए उक्त कृषि भूमियों के वादीगण सं. 1 ता 5 कुल रकबा के 5/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर बराबर व वादीगण सं. 6 ता 9 कुल रकबा के 1/7 भाग के एवं शेष 1/7 भाग के प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त खातेदार उद्घोषित होने के अधिकारी है। उक्त कृषि भूमियां विरासत के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बेजा फायदा उठाते हुए वादीगण को गत सप्ताह एलानियां धमकी दी है कि उक्त आराजियात उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनको विकय रहन आदि के माध्यम से उनका स्वत्व खुर्द बुर्द कर वादीगण को उक्त कृषि भूमियों के प्रति बनने वाले अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दूंगा। इस पर वादीगण ने दिनांक 14.02.2019 को उक्त आराजियात की राजस्व विभाग से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर रेकार्ड की जानकारी हुई इसलिए बिना ए दावा नियोजित करना लाजिम हुआ। उक्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक होने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को जैर विवादित कृषि भूमि के स्वत्व को विकय, गिरवी, रहन आदि के माध्यम से खुर्द बुर्द करने से प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 2 भूमिधारक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने व जैर विवादित कृषि भूमि के स्वत्व को स्थानांतरण करने निमित्त बनाये जाने वाले दस्तावेज को पंजीकृत करने का अधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी सं. 2 लोकसेवक की श्रेणी में आते है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नियमानुसार 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण का वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाकर वाद प्रस्तुत करने में वाद प्रस्तुती का उद्देश्य विफल हो जाने की संभावना के मध्य नजर बिना नोटिस दिये ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाकर स्वीकृति दिया जाना प्रार्थनीय है। जैर विवादित कृषि भूमियां वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई एवं निर्णय करने का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। अंत में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिकी किया जाकर कृषि भूमि ख.नं. 508, 521, 522, 523 किता 4 कुल रकबा 10.49 है0 वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादीगण सं. 1 ता 5 को कुल रकबे का 5/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण सं. 6 ता 9 को कुल रकबा का 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं. 1 को कुल रकबा का 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। जैर विवादित कृषि की खातेदारी से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ कर कुल रकबे के 5/7 हिस्से पर वादीगण सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर व कुल रकबे के 1/7 हिस्से पर वादी सं. 6 मता 9 बहिस्सा बराबर एवं कुल रकबे के 1/7 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 का नाम अंकन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर प्रतिबंधित किया जावें कि विवादित कृषि भूमि के स्वत्व को खुर्द बुर्द करने के आशय से विकय, गिरवी, रहननामा नहीं करें। वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दानाराम व फोटो प्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पेवा की संलग्न की है।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री बाबूलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किए जावें।

उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

Scanned with CamScanner

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 508, 521, 522, 523 किता 4 कुल रकबा 10.49 है0 वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का राजीनामा अनुसार वादीगण सं. 1 ता 5 कुल रकबा के 5/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर बराबर व वादीगण सं. 6 ता 9 कुल रकबा के 1/7 भाग के एवं शेष 1/7 भाग के प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 508, 521, 522, 523 कितर 4 कुल रकबा 10.49 है. प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की भूमियां है तथा वादी सं. 1 ता 9 प्रतिवादी सं. 1 के जायंदा पुत्र–पुत्रियां एवं पुत्र की सताने है तथा आपसी राजीनामा एवं पैतृक हिस्से अनुसार उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 508, 521, 522, 523 कितर 4 कुल रकबा 10.49 है. वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर में राजीनामा एवं पैतृक संपति साबित होने से वादीगण सं. 1 ता 5 कुल रकबा 10.49 है0 के 5/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर बराबर व वादीगण सं. 6 ता 9 कुल रकबा 10.49 है0 के 1/7 भाग के एवं कुल रकबा 10.49 है0 के शेष 1/7 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, धोद जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 25.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

श्योपाल बनाम प्रभुराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती निर्णय दिनांक 25.07.2019

मुकदमा नंबर 11 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री रणवीरसिंह काजला वकील मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील श्री बाबूलाल कुमावत मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 508, 521, 522, 523 कितर 4 कुल रकबा 10.49 है. वाके ग्राम पेवा प.मं. पेवा तहसील धोद जिला सीकर में राजीनामा एवं पैतृक संपति साबित होने से वादीगण सं. 1 ता 5 कुल रकबा 10.49 है0 के 5/7 हिस्से के बहिस्सा बराबर बराबर व वादीगण सं. 6 ता 9 कुल रकबा 10.49 है0 के 1/7 भाग के एवं कुल रकबा 10.49 है0 के शेष 1/7 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, धोद जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

डिग्री .... मुबलिग .... बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख .... मूलयाबी तफ .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह जुलाई,सन् 2019 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकालत नाम	1	00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00	मिजान	1	00
मिजान	7	00			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

...नंबर – 11/2019

1. ...योपाल
2. ...नाराम
3. मोहन लाल
4. ...मण राम
} पुत्रगण प्रभुराम

4. श्रीमती चुनी देवी पुत्री प्रभुराम
5. श्रीमती माना देवी पत्नी स्व. दानाराम
6. भींवाराम आयु 15 वर्ष पुत्र स्व. दानाराम
7. अमर चन्द आयु 10 वर्ष पुत्र स्व. दानाराम
8. बिदामी आयु 14 वर्ष पुत्री स्व. दानाराम

} नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता स्वयं माना देवी

9. समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. प्रभुराम पुत्र खुमाणाराम जाति जाट निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति–

1. श्री रणधीरसिंह काजला वकील वादीगण की ओर से
2. श्री बाबूलाल कुमावत वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक– 25.07.2019

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner